



कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon\_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 250 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक 22/04/2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद- बागेश्वर में पैठाण दारसिंह नाथीसेरा खातीगाँव तक मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं० 15682/2015।

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं० 08 बी/यू०सी०पी०/०६/१७०/२०१६/एफ०सी०/१९१२ दिनांक ३१.०३.२०२३।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्रांक १७०/१२-१ दिनांक १८.०७.२०२३ द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीय

(आकाश कुमार वर्मा)

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/ dfo\_bageshwar@rediffmail.com

दूरभाष एवं फैक्स नं०: 05963-220249 वन मित्र काल सेटर- 9208008000

पत्रांक  
सेवा में,

170 / 124-2

बागेश्वर

दिनांक : 18/07/2023

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊ वृत्त,  
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय -

जनपद बागेश्वर में पैठाण दारसिंह नाथीसेरा खातीगाँव मोटर मार्ग (प्रस्ताव संख्या-15682/2015)

सन्दर्भ-

भारत सरकार पर्यावरण एवं मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक सं० 8बी०/यू०सी०पी०/०६/१७०/२०१६/एफ०सी०/१९१२ दिनांक ३१.०३.२०२३

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तियाँ लगी थीं गयी हैं प्रस्तावक विभाग द्वारा उनका निम्नानुसार निराकरण कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु सं० 1	In reference to the receive CA area identified by the Forest Department the DSS analysis has revealed that out of the 9.9 ha Area, 6.0 ha is classified as MDF. Therefore, the state government is requested to review the proposed area and, if necessary, replace it with a more suitable area.	On site inspection of 06 hectare MDF area, it was found that 1000 plants per hectare can be planted in the said area.(site inspection report attached.)
2	The response provided in regards to point no. 4 of EDS letter dated 20.04.2022 is not acceptable. According to the KML, the village of Bhandola is already situated near the existing road network. Furthermore, there is another existing road that passes through the village, and the village of Darsing can be easily connected by this road. As the other villages are already situated on a road, the proposed road is not justified. Therefore, the State Govt. is requested to revise the proposal to connect the village of Darsing using the aforementioned road.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मोटर मार्ग का निर्माण हो जाने से ग्रामसभा दारसिंह, होराली, पैठाण, भन्तोला व उनके लोको को जोड़ा जाना है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि इस मोटर मार्ग के निर्माण हो जाने से काण्डा क्षेत्र व रोमा क्षेत्र जुड़ जायेगा तथा स्थानीय जनता का मोटर मार्ग के आवागमन 50 से 60 किमी० कम हो जायेगा। स्थानीय जनता एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा उक्त मोटर मार्ग को जोड़ने हेतु लगातार माग की जा रही है।
3	The state Govt. is also requested to confirm that the trees have been counted within the 7 m width of the road.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मोटर मार्ग का प्रस्ताव 9 मी० में गठित किया गया है। मोटर मार्ग का निर्माण 7 मी० में किया जायेगा एवं वृक्षों की गणना भी 7 मी० में की गयी है। क्योंकि मार्ग में कम वृक्ष प्रभावित हो। मार्ग निर्माण के दौरान भी कम से कम वृक्षों का पालन किया जायेगा।

भवदीय,

(उमेश चन्द्र तिवारी)

प्रभागीय वनाधिकारी,

बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर



## कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट

E.Mail . eepwdkapkot@rediffmail.com

Ph./ Fax No. – 05963.253385 (O)

पत्रांक 1302 / 2ई0

दिनांक 01 / 07 / 2023

सेवा में,

✓ प्रभागीय वनाधिकारी  
वन प्रभाग बागेश्वर।

**विषय:-** जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत पैठाड-दारसिंह-खातीगोंव-नाथीसेरा से भन्तोला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.95 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (ऑनलाइन प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD /15682/2015)

**सन्दर्भ:-** भारत सरकार, पर्यावरण एवं मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय एफ०आर०ए० उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक सं० 8बी०/यू०सी०पी०/०6/170/2016/एफ०सी०/1912 दिनांक 31.03.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय एफ०आर०ए० उत्तराखण्ड देहरादून उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तियों लगायी गयी हैं जिनका निम्नानुसार निराकरण कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु सं०	लगायी गयी आपत्तियों	आख्या
1	In reference to the recive CA area identified by the Forest Department, the DSS analysis has revealed that out of the 9.9Ha Area, 6.0 ha is classified as MDF . Therefore, the state government is requested to review the proposed area and, if necessary, replace it with a more suitable area.	प्रभागीय वनाधिकारी महोदय स्तर से सम्बन्धित है।
2	The response provided in regards to point No. 4 of EDS letter dated 20-04-2022 is not acceptable. According to the KML, the village of Bhandola is already situated near the existing road network. Furthermore, there is another existing road that passes though the village, and the village of Darsing' can be easily connected by this road. As the other villages are already situated on a road, the proposed road is not justified. Therefore, the State Govt. is requested to revise the proposal to connect the village of Darsing' using the aforementioned road.	इस मोटर मार्ग का निर्माण हो जाने से ग्रामसभा दारसिंह, होराली, पैठाण, भन्तोला व उनके तोकों को जोड़ा जाना है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि इस मोटर मार्ग के निर्माण हो जाने से काण्डा क्षेत्र एवं रीमा क्षेत्र जुड़ जायेंगे तथा स्थानीय जनता का मोटर मार्ग से आवागमन 50 से 60 किमी० कम हो जायेगा स्थानीय जनता एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा उक्त मोटर मार्ग को जोड़ने हेतु लगातार मांग की जा रही है।
3	The State Govt. is also requested to confirm that the trees have been counted within the 7m width of the road	प्रस्ताव 9 मी० में गठित किया गया है। मोटर मार्ग का निर्माण 7 मी० में किया जायेगा एवं वृक्षों की गणना भी 7 मी० में की गयी थी क्योंकि मार्ग में कम वृक्ष प्रभावित हो। मार्ग निर्माण के दौरान भी कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा।

03/7/2023

12-1-2

भवदीय,

(इ० राजेश कुमार)  
अधिशासी अभियन्ता

नि०ख०लो०नि०वि०, कपकोट